न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/614

1. मृतक गोरधन आत्मज स्व0 बद्रीलाल जाति धाकड जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मांगीलाल आत्मज स्व0 गोरधन ।
   1/2. रामेश्वर आत्मज स्व0 गोरधन जाति धाकड निवासीगण ग्राम अरन्या खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. संतोष आत्मज स्व0 बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम अरन्या खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––––अपीलान्ट

बनाम

1. रामकन्या पत्नी स्व0 कालूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम अरन्या खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. कान्ति बाई पुत्री श्री कालूलाल पत्नी श्री लटूर जाति धाकड निवासी साण्डियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. सुमित्रा पुत्री श्री कालूलाल पत्नी श्री भंवर लाल जाति धाकड निवासी ग्राम कोटडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. अवन्तिका पुत्री श्री कालूलाल पत्नी श्री हेमराज जाति धाकड निवासी ग्राम अरन्या खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. मंजू पुत्री श्री कालूलाल पत्नी श्री राजू जाति धाकड निवासी ग्राम गनागोणिया तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कुंज बिहारी नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अरनिया खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में

खाता संख्या 68 की खसरा नम्बर 145 की 06 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 की 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 406 की 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 407 की रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा कुल 32 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार पूर्व में मृतका पारीबाई पत्नी बद्रीलाल थी । पारी बाई की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण, वादिनी कम 1 के पिता व माताजी पार्वती बाई का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है । वादिनी के पति/पिता व प्रतिवादीगण सगे भाई हैं जो मृतक बद्रीलाल के पुत्र होने से उक्त भूमि में 1/3 हिस्से पर अलग से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादिनी कम 1 के पति गत वर्षो से अलग हिस्से में रहकर स्वयं अपने हिस्से की आराजीयात व स्वयं की कमाई से कय की गई आराजीयात पर खुदकाश्त करते चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद वादिनी उनकी पत्नी होने से उक्त भूमि पर काश्त काश्त है । प्रतिवादीगण ने मौके पर आकर वादिनी को कहा कि इस भूमि पर तुम्हारा कोई हक नहीं है क्योंकि उक्त सम्पूर्ण भूमि हमारी माताजी प्यारी बाई ने हमारे हक में वसीयत कर दी है तथा वसीयत के आधार पर हम प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार हो गये हैं । मृतक बद्रीलाल जी के वारिसान प्रतिवादी कम 1 व 2 एवं वादिनी कम 1 के पति कालूलाल तथा सास प्यारी बाई होने से चारों का समान रूप से संयुक्त हिस्सेदारी होने पर व प्रत्येक का कानूनन 1/4 हिस्सा मात्र होने पर भी मृतक प्यारी बाई ने सम्पूर्ण आराजीयात की वसीयत प्रतिवादीगण के हक में की है जो कि पूर्णतया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है ।

3. अतः बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व वसीयत दिनांक 19.02.2001 व इंतकाल संख्या 256 को अवैध घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन किया जाकर वादीगण का 1/3 हिस्सा पृथक से खाते में दर्ज किया जावे तथा उक्तानुसार मौके पर दखल दिलाया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फमराया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से पर वादीगण को काश्त करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1 व 2 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2018 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.12.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदार जगन्नाथ आत्मज श्री कंवरलाल धाकड के खाते की खाता संख्या 27 की कुल 95 बीघा भूमि थी । जगन्नाथ अपीलान्ट की माता पारी बाई का सगा भाई था जिसने प्रसन्न होकर पारी बाई को उक्त खाते की भूमि में से वादग्रस्त आराजी लगभग 40 वर्ष पूर्व मुन्तकित करके इंतकाल नम्बर 23 से खाता दर्ज करवाकर कब्जा दिया था । वादग्रस्त आराजी प्यारी बाई के दर्ज खाता होने के बाद वे ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त रही हैं । बतौर खातेदार मु0 प्यारी बाई ने गोरधन व संतोष को

वादग्रस्त आराजी की वसीयत आलेखित करवाकर कानूनी रूप से पंजीकृत करवायी है । प्यारी बाई के स्वर्गवास हो जाने के बाद गोरधन व संतोष के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का इंतकाल कानूनी रूप से तस्दीक किया जाकर भूमि खाते दर्ज की गई । गोरधन की मृत्यु के उपरान्त उनके हिस्से पर उनके विधिक वारिसान बतौर मालिक खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट व गुड्डी बाई, राजन्ती बाई- संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं । वादी द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार गुड्डी बाई व राजन्ती बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है । वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट विधिवत रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.12.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक दावा बाबत् अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर विभाजन के आदेश पारित किये हैं । वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदार जगन्नाथ आत्मज श्री कंवरलाल धाकड के खाते की खाता संख्या 27 की कुल 95 बीघा भूमि थी । जगन्नाथ अपीलान्ट की माता पारी बाई का सगा भाई था जिसने प्रसन्न होकर पारी बाई को उक्त खाते की भूमि में से वादग्रसत आराजी लगभग 40 वर्ष पूर्व मुन्तकिल करके इंतकाल नम्बर 23 से खाता दर्ज करवाकर कब्जा दिया था । वादग्रस्त आराजी प्यारी बाई के दर्ज खाता होने के बाद वे ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त रही हैं । बतौर खातेदार मु0 प्यारी बाई ने गोरधन व संतोष को वादग्रस्त आराजी की वसीयत आलेखित करवाकर कानूनी रूप से पंजीकृत करवायी है । प्यारी बाई के स्वर्गवास हो जाने के बाद गोरधन व संतोष के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का इंतकाल कानूनी रूप से तस्दीक किया जाकर भूमि खाते दर्ज की गई । वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं है वरन् प्यारी बाई की निजी सम्पत्ति थी जिसको वसीयत करने का प्यारीबाई को पूर्ण अधिकार था । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री किया है । वादी द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार गुड्डी बाई व राजन्ती बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है । वसीयत पूर्णतया प्रमाणित है जिसको नजर अन्दाज किया गया है । तनकीयात का निर्णय विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया है । अपीलान्ट के काउन्टर क्लेम पर कोई फाईडिंग नहीं दी है । वादी यह सिद्ध नहीं पाये हैं कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 05.12.2018 निरस्त फरमायी जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं है इस कारण उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । वसीयत के गवाहों

बजरंग लाल एवं देवीलाल के शपथ पत्र पेश किये गये हैं परन्तु जिरह का अवसर नहीं दिया गया है । वसीयत प्रमाणित नहीं है । वादग्रस्त आराजी पारी बाई के खाते की है और पैतृक है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2018 बहाल रखी जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 खाता संख्या 38 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसमे अनुसर पारी बाई जोजे बद्री के खाते में कुल 05 किता की 31 बीघा 05 बिस्वा भूमि खाते में दर्ज है । वसीयत की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 2 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 प्रदर्श– 3 है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पारी बाई जोजो बद्रीलाल के खाते दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 4 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 06 किता की 32 बीघा 11 बिस्वा भूमि पारी बाई जोजे बद्रीलाल के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2018 से 2022 संलग्न है जिसके अनुसार जगन्नाथ के खाते में कुल 15 किता की 95 बीघा आराजी दर्ज है इसमें से खसरा नम्बर 145 की 06 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 की रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 की रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 406 की रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 407 की रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि का मिलान हो रहा है । नकल जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 संलग्न है जिसके अनुसार पारी बाई के खाते में कुल 05 किता की 31 बीघा 11 बिस्वा आराजी दर्ज है और इसमें यह नोट अंकित है कि यह आराजी इंतकाल संख्या 23 से खाता संख्या 27 से मुन्तकिल होकर आई है । इन दोनों जमाबन्दियों का अवलोकन करने से यह प्रतीत हो रही है कि वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ के खाते से पारी बाई के खाते में आई है । परन्तु इन दस्तावेजात को प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श नहीं करवाया गया है ।

11. इसके अलावा पत्रावली पर बयान रामकन्या पीडब्ल्यू–1 कराए गये हैं ।

12. कुछ शपथ पत्र गवाहों के पत्रावली में संलग्न हैं परन्तु उन शपथ पत्रों को न्यायालय में उपस्थित होकर गवाहों ने ताईद नहीं किया है ।

13. प्रतिवादी की ओर से मांगीलाल डीडब्ल्यू–1 के बयान कराये गये हैं । संतोष के बयान भी प्रतिवादी की ओर से कराया जाना प्रतीत होता है परन्तु उस पर पीडब्ल्यू अथवा डीडब्ल्यू अंकित नहीं किया गया है ।

14. पत्रावली पर एक वसीयत की प्रति जो कि पंजीकृत है और प्रदर्श– 2 के रूप में संलग्न है जो कि पारी बाई के द्वारा गोरधन एवं संतोष के पक्ष में निष्पादित किया जाना अंकित है । इस वसीयत के गवाह बजरंग और देवीलाल हैं इन दोनों के शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये हैं परन्तु न ही इन शपथ पत्रों को गवाहों ने न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद किदया और न ही वादी को इनसे जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया है । काउन्टर क्लेम में उनके द्वारा वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की सहायता चाही गई है । काउन्टर क्लेम का जवाब उल जवाब भी पेश किया गया है । परन्तु काउन्टर क्लेम

के आधार पर कोई तनकी कायम नहीं की है जबकि काउन्टर क्लेम के आधार पर भी तनकी कायम किया जाना आवश्यक है । तद्नुसार निम्नानुसार अतिरिक्त तनकी कायम की जाती है :–

1. **'आया प्रतिवादीगण वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है'** – प्रतिवादीगण

2. **'आया दौराने दावा यदि वादीगण वादग्रस्त आराजी के किसी भी रकबे पर कब्जा कर ले तो प्रतिवादीगण पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं'** – प्रतिवादीगण

16. इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 14 एवं 15 में किये गये विवेचन अनुसार कायम की गई अतिरिक्त तनकीयात को शामिल करते हुए गवाहान के शपथ पत्रों की न्यायालय में ताईद कराते हुए दूसरे पक्ष को जिरह करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/4/19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा